कार्यवाही

सीएम बाल श्रवण योजना घोटाला

जिला प्रबंधक सुभाष शुक्ला संविदा सेवा से बर्खास्त

नवभारत,जबलपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मिशन डायरेक्टर ने मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के तहत दिव्यांग जन्मजात गूंगे-बहरे बच्चों के उपचार में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। महालेखाकार ऑडिट में 2.27 करोड़ रुपये का अनुपयोगी व्यय और 8.96 लाख रुपये का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुभाष शुक्ला को संविदा सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत जन्मजात गूंगे-बहरे बच्चों के उपचार, विशेषकर स्पीच थेरेपी, के लिए शासन द्वारा प्रति बच्चे

लगभग 1.30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन ऑडिट जांच में सामने आया कि सुभाष शुक्ला द्वारा कई मामलों में बच्चों का वास्तविक उपचार कराए बिना ही भुगतान की नोटशीट तैयार कर राशि का आहरण कर लिया गया।

फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली थी राशि

जांच के दौरान दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए थे। अभिभावकों ने स्पष्ट कहा कि संबंधित संस्थाओं में बच्चों की स्पीच थेरेपी नहीं हुई, जबकि उनके नाम पर भुगतान दिखाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी हस्ताक्षरों के माध्यम से राशि निकाली गई है। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि बच्चों का फॉलो-अप न होने के बावजूद 2.27 करोड़ रुपये खर्च दर्शाए गए, जो अनुपयोगी व्यय की श्रेणी में आता है।

शिवसेना के नेता ने की थी शिकायत

जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत शिव सेना के शैलेन्द्र बारी द्वारा मुख्यमंत्री से की गई थी। शिकायत के बाद पहले संभाग स्तरीय और फिर राज्य स्तरीय उच्चस्तरीय जांच दल द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच में सुभाष शुक्ला पर लगे भ्रष्टाचार के सभी आरोप प्रमाणित पाए गए। फिर बुधवार को मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आदेश जारी कर इसे गंभीर कदाचरण करार दिया और सुभाष शुक्ला को तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई को दिव्यांग बच्चों के हितों की रक्षा और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बालाजी बायो प्रदूषण मामले में सरकार से जवाब-तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने बालाजी बायो सॉल्यूशन फ्यूल्स शहपुरा द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के आरोप के मामले में जवाब-तलब किया है। युगलपीठ ने मामले में राज्य शासन व बालाजी बायो सॉल्यूशन फ्यूल्स शहपुरा, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, कलेक्टर व संभागायुक्त और मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को नोटिस जारी किये हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को नियत की गई है।यह जनहित याचिका जबलपुर निवासी अधिवक्ता अमर गुप्ता की ओर से दायर की गई है। जिनकी ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि बालाजी बायो सॉल्यूशन फ्यूल,शहपुरा के जरिए फैल रहे प्रदूषण से जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने

चरगंवा के ग्राम बढ़ेयाखेड़ा में कब्रिस्तान या शासकीय चारागाह भूमि पर विवाद

नवभारत, जबलपुर। चरगंवा थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ेयाखेड़ा में जमीन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद बुधवार को उस समय उग्र हो गया, जब एक बुजुर्ग महिला के शव को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। एक पक्ष का दावा है कि जिस जमीन पर शव दफनाया जा रहा था, वह वर्षों पुराना कब्रिस्तान है, जबकि दूसरे पक्ष और हिंदू संगठनों का कहना है कि यह शासकीय चारागाह की भूमि है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

मौके पर पहुंचा प्रशासन संभाली स्थिति

स्थिति बिगड़ते देख एएसपी अंजना तिवारी, शहपुरा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। घंटों तक लगातार चले हंगामे के बीच पुलिस-प्रशासन की समझाइश के बाद मृतक पक्ष के परिजन दूसरे स्थान पर शव को दफन करने के लिए तैयार हो गए है। मृतिका फतीमा बी को अब जबलपुर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां पर कि उनके पति को दफनाया था।

दोनों जमीनों के हैं अलग- अलग खसरे

शहपुरा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि खसरा नंबर 242 में करीब 7 हजार वर्गफुट का क्षेत्र है, जिसमें कब्रिस्तान बना हुआ है साथ ही सड़क भी गुजरी है। जबकि खसरा नंबर 243 के लगभग 6 हजार वर्गफुट क्षेत्र में भूमि शासकीय चारागाह के नाम पर दर्ज है। जिसको लेकर गहमागहमी की स्थिति बनी हुई थी, मौके पर प्रशासन ने जमीनों की पुख्ता जानकारी लोगों को देकर मामले को शांत कराया।

इनका कहना है

शव दफनाने को लेकर विवाद की सूचना मिली थी,जिसमें भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति सामने आई थी। मौके पर समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया गया और शव को जबलपुर भेज दिया गया है।

मदन सिंह रघुवंशी
शहपुरा एसडीएम

सर्वोदय अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा

महिला की मौत पर डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप

नवभारत,जबलपुर। सर्वोदय अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब उदय नगर रांझी निवासी 44 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद महिला के परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए जबर्दस्त हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। जानकारी के अनुसार उदय नगर रांझी निवासी रानू यादव (44 वर्ष) को बच्चादानी के ऑपरेशन के लिए सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने बीती दोपहर ऑपरेशन किया और उसे क्रिटिकल कंडीशन में वेंटिलेटर पर रखा गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के पहले रानू पूरी तरह स्वस्थ थी। ऑपरेशन के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टर और स्टाफ ने मरीज को छोड़ दिया और 6 घंटे तक कोई डॉक्टर उनकी देखभाल के लिए नहीं आया। जब परिजनों ने हंगामा किया कि मरीज रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तब मौके पर मौजूद नर्सों ने आपात स्थिति में सीपीआर देना शुरू किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और महिला ने दम तोड़ दिया था।

षड़यंत्र ने 10 वर्षों से 400 घरों को जल, बिजली से रखा वंचित

शासन के पास बंधक 35 प्लाट बेचे अविकसित कॉलोनी की गलत निरीक्षण रिपोर्ट बनाई

बिल्डर, उपयंत्री के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

जबलपुर। ड्रीमलेण्ड सिटी कठौंदा रिमझा में रचे गए षड़यंत्र से 10 वर्षों से 400 घरों में बिजली और जल जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। इसके अलावा बिल्डर से मिलीभगत कर अधिकारी ने पद का दुरुपयोग कर अविकसित कॉलोनी की गलत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर दिया। साथ ही शासन के पास बंधक रखे 35 प्लाट (भूखंड) विक्रय कर दिए गए। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर (ईओडब्ल्यू) ने प्रो. बाबा रामदेव डेवलपर डायरेक्टर गणेश विठ्ठल दास चांडक पिता विठठलदास निवासी तालेगांव रोड आर्वी जिला वर्धा महाराष्ट्र, श्रीमति अर्चना दुबे पति विश्वराज दुबे 45 वर्ष, उपयंत्री परिक्षेत्र कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग जबलपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर को शिकायत मिली कि जबलपुर स्थित ड्रीमलेण्ड सिटी के डेवलपर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से कॉलोनी वासियों को मूलभूत सेवाओं से वंचित किया गया है। शिकायत जाँच पर पाया गया ड्रीमलेण्ड सिटी कॉलोनीवासियों द्वारा जिला कलेक्टर जबलपुर को भी जनसुनवाई के दौरान शिकायत की गई थी। जिसकी जांच तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, कालोनी सेल द्वारा की गई थी। जिसमें उनके द्वारा ड्रीमलेण्ड सिटी कठौंदा रिमझा में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की बात पाई थी। प्रतिवेदन आयुक्त नगर निगम को प्रस्तुत किया था। श्रीमती अर्चना दुबे द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। तत्कालीन इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा बाबा रामदेव डेवलपर को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। उक्त दोनों फेस में बिजली की लाइन लगी थी और न ही कोई ट्रांसफार्मर था। गणेश विठ्ठल दास द्वारा मौका निरीक्षणकर्ता अधिकारी, श्रीमती अर्चना दुबे, उपयंत्री के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचकर व उपयंत्री द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अविकसित कॉलोनी की गलत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर, शासन के पास बंधक में रखे गये 35 भूखण्ड विक्रय कर शासन के विरुद्ध बेइमानीपूर्वक कृत्य किया जाना प्रमाणित पाया गया। आरोपीगण के इस कृत्य से भूखण्ड क्रय करने वाले व ड्रीमलैण्ड कालोनी वासियों को बिना स्थाई बिजली कनेक्शन के रहना पड़ रहा है। इस कृत्य और षड़यंत्र के कारण इस कॉलोनी के लगभग 400 मकानों में निवास कर रहे परिवार 10 वर्षों से जल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मामले में ईओडब्ल्यू ने आरोपी गणेश विठ्ठल दास प्रो. बाबा रामदेव डेवलपर व श्रीमति अर्चना दुबे, उपयंत्री, ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय जबलपुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

कर्मचारी को निलंबन भत्ता प्रदान करें

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मझौली के प्रशासक को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता निलंबित कर्मचारी को निलंबन भत्ता प्रदान करें। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह निलंबन के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदन दे। अपीलीय अधिकारी तीन माह के भीतर उस पर निर्णय लें।दरअसल यह मामला जबलपुर निवासी दिनेश कुमार रावत की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे व निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता उक्त समिति में जूनियर सेल्समेन के पद पर पदस्थ था। अनियमितता के आरोप में उसे 29 मार्च 2025 को निलंबित कर दिया गया था। दलील दी गई कि नियमानुसार एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता।

एक्सचेंज बोनस ₹2500/-*

कॉर्पोरेट ऑफ़र ₹2200/-*

Hero GoodLife Stand a chance to win Gold and Silver Coins and many more assured benefits*

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. World's no 1 disclaimer - Highest sales for any 2 Wheeler Corporate Entity in the world for Calendar Year 2025 Data source: DNA Consult & Advisory's report Assessment of Global Two Wheelers Market(CY25). Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. Available at selectdealerships. *Limited period offer, T&C Apply. #Ex-showroom price of Glamour X Drum variant in Madhya Pradesh.

TOLL FREE NO. 1800 266 0018

अधिकृत डीलरः जबलपुर: सुपर हीरो (साउथ सिविल लाईन्स) 9289922350, सुदर्शन हीरो (नेपियर टॉउन 9289922353, मदन महल 9111100352, दमोह नाका 9111100344), बालाघाट: जायसवाल हीरो 9289922572, छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, मण्डला: शुभा हीरो 9289922600, नरसिंहपुर: रचना हीरो 9289922377, रीवा: बद्रिका हीरो (टी.पी. नगर 9752263333, इलाहाबाद रोड 9171705391), सतना: स्टार हीरो 9289922356, बद्रिका हीरो 9289923108, शहडोल: विभोर हीरो 9289923109, गुप्ता हीरो 9289922370, कटनी: हर्ष हीरो 9289923166, वैढ़न: कुन्दन हीरो 9289922743, बजरंग मोटर्स 7354559000, सीधी: राजेन्द्र मोटर्स 9289923113, सिवनी: सुदर्शन हीरो 9821745435, चौरई: श्रीजी ऑटोमोबाईल्स, 9821749342, दमोहः इण्डिया ऑटो हीरो 9289922573, एसोशिएट डीलरः पथरियाः एसएस ऑटोमोबाइल्स, 9691147568, सेमरिया: आकाश मोटर्स 9893918358, अमरवाड़ा: अर्पित ऑटोमोबाईल्स 7428595943, ब्यौहारी: श्री राम ऑटोमोबाईल्स 9424683246, बुड़हार: श्री ऑटोमोबाईल्स 9425181937, डिंडोरी: अवधिया ऑटो 8959777333, नैनपुर: स्वास्तिक मोटर्स 9893746172, गाडरवाड़ा: शेखर व्हीकल्स 9425467409, जुन्नारदेव: लक्ष्मी नारायण मोटर्स 8109164000, कोतमा: सिटी ऑटोमोबाईल्स 7987519546, मैहर: वैशाली ऑटोमोबाईल्स 9424741022, मउगंज: सेंगर मोटर्स 9425185568, लांझी: श्रीखण्ड ऑटोमोबाईल्स 7428390262, पांडुरना: जय भवानी ऑटोमोबाईल्स 7428390263, परासिया: श्री महावीर ऑटोमोबाईल्स 7354460008, रामपुर बघेलान: साँई ऑटोमोबाईल्स 9993224296, रांझी: गुरुकृपा ऑटो 9424728007, सिहोरा: बाईक प्वांट 9826802730, उमरिया: गुप्ता ऑटो एजेन्सी 9285505630, वारासिवनी: रुसिया मोटर्स 9425822392, मुलताई: शारदा श्री मोटर्स 9522870001, चितरंगी: ओम मोटर्स 9685416118, बरगवां: बजरंग मोटर्स 9926183734, बहरी: श्याम एजेंसी 9981238133, बरही: अजीत ऑटोमोबाइल्स 7566217410, 9131739086, अनूपपुर: बाल गोविंद ऑटोव्हील्स 9770531138, 9770744844, नागोद: चौरसिया ऑटोमोबाइल्स 9926365074, देवसर: श्री राम मोटर्स 9425086868 अमरपाटन : रिशु ऑटोमोबाइल्स 9893829195, स्लीमनाबाद: अनिल मोटर्स 9425466101, रामनगर: विजय ऑटोमोबाईल्स 9893252517, धनोरा: भवानी व्हीकल्स 9424950703, सरई: यश मोटर्स, 9981718853, सालीचौका: अभिषेक इंटरप्राइजेज 8989434793, उंचेहरा: अंकुर ऑटोमोबाइल्स, 7999328251, गढ़: अंबे मोटर्स, 9752666969, गुन्नौर: मधुबन मोटर्स, 8959050501, मड़वास: ओम मोटर्स, 9009066959, मझौली: न्यू कुन्दन ऑटोमोबाइल्स, 9584628677, Hero Sure (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, नरसिंहपुर: रचना हीरो 8815396340, दमोह : इंडिया ऑटो सेंटर 8839230079.

FCB INTERFACE/8486/JANUARY26/HINDI

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57